

सिद्ध

23-01-20 पत्रावली पेश है (वादी/उत्पी/अनुपस्थित)
 न्यायालय द्वारा न्यायालय समक्ष में
 तीन घाट रुक रुक कर आवाज लगवाई
 गई किन्तु उत्पी अतिरिक्त पेश
 हुए उपस्थित नहीं हुए। निम्नोपरी
 होना कि उत्पी अपने प्रकरण को
 आगे नहीं चलावा चाहते हैं। अतः
 उत्पी का प्रमाण पत्र उत्पी के
 अनुपस्थित रहने एवं प्रकरण में
 पेश नहीं किये जाने से अदालत
 दाली व अदालत पेशी के स्वादिष्ट
 किया जाता है।

(M. J. J.)
 उपखण्ड अधिकारी
 बड़गाँव, जिला-उदयपुर

